की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय अयुब खां के स्थान पर आकूब खां बोल चाल की भाषा का दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि आकूबखां एवं अयुब खां दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 342 के खसरा नम्बर 1103, 795, 800, 972, 979, 980 में दर्ज सहखातेदार नाम आकूब खां पुत्र जमाल खां के स्थान पर वास्तविक नाम अयुब खां पुत्र जमाल खां दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे मौजा दुगोली तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 242 के खसरा नम्बर 1103, 795, 800, 972, 979, 980 में दर्ज सहखातेदार नाम आकूब खां पुत्र जमाल खां के स्थान पर अयुब खां पुत्र जमाल खां दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 11.11.25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner